



+91 94133 48355 @ Lsg ulb comm. group 2

today at 5:50 PM



राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dibrajasthan@gmail.com)
क्रमांक:एफ.55(डीएलबी/सीई/डब्ल्यूएस/कोरोना/2021/116031-244 दिनांक: 15/07/2021

आयुक्त/अधिसापी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त, राजस्थान।

विषय:-नगरीय निकायों के कर्मचारियों को आगामी 15 अगस्त पर प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सभी निकायों द्वारा कोविड से संबंधित कार्य कोरोना जन जागरण व कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाने का कार्य संपादन अति संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारीपूर्वक वहन किया गया है। सभी निकायों द्वारा विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना बखूबी की गई है जिसकी उच्च स्तरीय कोविड समीक्षा बैठको में भी सराहना की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रवन्धन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के नाम निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग व संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आगामी 15 अगस्त पर प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने हेतु प्रस्तावित करें।

(दीपक भन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:एफ.55()डीएलबी/सीई/डब्ल्यूएस/कोरोना/2021/116245-315 दिनांक: 15/07/2021
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त स्थानीय निकाय विभाग।
6. उपखण्ड अधिकारी, समस्त राजस्थान।
7. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

